PATLIPUTRA UNIVERSITY
PATNA-800020

पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय
PATLIPUTRA UNIVERSITY

E-mail:- patliputrauniversity2018@gmail.com
registrar@ppup.ac.in

Ref.no:-…………………….. **Date:-……………………**

सेवा में,

प्राचार्य / प्रभारी प्राचार्य
सभी अंगीभूत / अल्पसंख्यक / राजकीय एवं सम्बद्ध महाविद्यालय,
एवं
सभी विभागाध्यक्ष,
स्नातकोत्तर विभाग,
पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना।

विषयः— विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में अनुपस्थित रह रहे छात्र—छात्राओं के नाम काटने एवं अन्य निदेशों के संबंध में।

संदर्भः— शिक्षा विभाग पत्रांक — 15 / एम1—245 / 2023—3807 दिनांक 14.10.2023.

महाशय / महाशया,

उपर्युक्त विषयक एवं संदर्भित पत्र के आलोक में आप पूर्व से ही अवगत हैं कि छात्र—छात्राओं की कक्षा में 75% उपस्थिति अनिवार्य है। अतः निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार द्वारा प्राप्त आदेश (संलग्नित) के आलोक में पुनः आपको सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर जो भी छात्र या छात्रा 03 दिनों से अधिक अनाधिकृत रूप से लगातार अनुपस्थित पाये जाते हैं उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए स्पष्टीकरण असंतोषजनक होने पर उनका नाम काटने / पंजीकरण रद्द करने की कार्यवाई की जाय।

अतः जिन छात्र—छात्राओं की उपस्थिति 75% से कम पाया जाता है तो उन छात्रों का परीक्षा हेतु एडमिट कार्ड निर्गत नहीं किया जाएगा।

कृपया इसका अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाय। इसकी सूचना महाविद्यालय के वेबसाईट पर भी प्रकाशित की जाए।

अनुलग्नकः—

- यथोक्त।

ह० / —
(प्रो० शालिनी)
कुलसचिव
पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांकः— R/PPU/2252/23 दिनांकः— 17.10.2023

प्रतिलिपिः—

1. माननीय प्रति कुलपति, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना।
2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना।
3. परीक्षा नियंत्रक, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना।
4. संरक्षित संचिका।

Shalini
17-10-2023
कुलसचिव
पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना

17/10/23

I/82921/2023

पत्रांक– 15/एम1–245/2023 - 3807.
शिक्षा विभाग, बिहार

प्रेषक,

डा0 रेखा कुमारी,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

कुलसचिव,
राज्य के सभी विश्वविद्यालय।

पटना दिनांक 14/10/2023

विषयः– विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में अनुपस्थित रह रहे छात्र–छात्राओं के नाम काटने एवं अन्य निदेशों के संबंध में।

महाषय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार निम्नांकित निदेश दिये जा रहें हैं :–

1. विश्वविद्यालय या महाविद्यालय स्तर पर जो भी छात्र या छात्रा 03 दिनों से अधिक अनाधिकृत रूप से लगातर अनुपस्थित पाये जाते हैं उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए स्पष्टीकरण असंतोषजनक होने पर उनका नाम काटने/पंजीकरण रद्द करने की कार्रवाई की जाय।

2. विश्वविद्यालय के परीक्षा–नियंत्रक कुलसचिव के सहयोग से यह सुनिश्चित होने के बाद ही छात्र–छात्राओं को परीक्षा हेतु एडमिट कार्ड निर्गत करेंगे की उक्त छात्र–छात्रा की उपस्थिति 75% प्रतिशत या उससे अधिक रही है।

उक्त निदेश का अनुपालन कृपया दृढ़ता से किया जाय।

विश्वासभाजन

Signed by Rekha Kumari
Date: 13-10-2023 13:17:15
(रेखा कुमारी)
निदेशक, उच्च शिक्षा।